राजस्थान—सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 01/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नन्द किशोर पिता गोवर्धन लाल कुमावत निवासी फुलियाकलां जिला शाहपुरा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा।
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 19.01.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा के विरूद्ध दिनांक 04.12.2023 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/— रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 548675 के साथ एक आवेदन दिनांक 04.11.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को दिनांक 12.01.2024 को उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :—

3. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना/जवाब सूचना का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 0007 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई।

4. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

5. आदेश आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
शाहपुरा